

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-1019/ग्रा0अ0से0/लेखा-ठेके0पंजी0-89/2018-19/दिनांक- 7-1-2019

पंजीकरण संख्या-<sup>362</sup>/श्रेणी 'बी' /मार्गनिर्माण/2018

--: पंजीकरण प्रमाण पत्र --:--

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-1890 दिनांक-04.01.2019 से प्राप्त श्री बालकराम पुत्र श्री बंदी प्रसाद, निवासी ग्राम सीतापुर पोस्ट खुटार जनपद शाहजहाँपुर के पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर श्री बालकराम पुत्र श्री बंदी प्रसाद, निवासी ग्राम सीतापुर पोस्ट खुटार जनपद शाहजहाँपुर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी "बी" में ठेकेदारी पंजीकरण नियमावली के नियम संख्या-12 (1) के अन्तर्गत आगामी छः माह तक इस प्रतिबन्ध के साथ पंजीकृत किया जाता है कि बैद्यता समाप्ति से पूर्व नियमावली के नियम सं0-5 तथा यथासंशोधन के अनुरूप बाछित हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात इनका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल-बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर आगरा, अलीगढ़, चित्रकूटधाम बोंदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शाहजहाँपुर।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआईयू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ~~बरेली~~
- 4- मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी0/नियो0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- श्री बालकराम पुत्र श्री बंदी प्रसाद, निवासी ग्राम सीतापुर पोस्ट खुटार जनपद शाहजहाँपुर (मो0नं0-9839190994 ई-मेल [vermarampal11223@gmail.com](mailto:vermarampal11223@gmail.com)) को निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा।
- 7- अवर अभियन्ता (प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0)।